

Order No:- 433L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 25.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Smt. Geetha Viswanath Vanga** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 25 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	PARASA DIVYESH KUMAR	RAVI KUMAR, MOB- 9640488298	1	KAKINADA
2	DESAMSETTI ARJUN	BHUVANESHWARI, MOB- 9966121212	5	KAKINADA
3	VUPPALAPATI GOWTHAM SATHVIK CHOWDARY	KAMARAJ, MOB- 9392560492	2	KAKINADA
4	CHAVVAKOLA PRABHU DEVA	DINESH, MOB- 9848868143	3	KAKINADA
5	SANKU SATYA SHEEL	SANKU SATTI BABU, MOB- 7989828326	4	KAKINADA
6	BIRUDUGADDA RAJKAMAL	B. SUKUMAR, MOB- 9985225759	6	KAKINADA
7	MALLI PODI DHANVI KARTHKA	GIRISH, MOB- 9133463678	1	KAKINADA
8	K. TARUN SATYA SESHU	SATYA NARAYANA, MOB- 9014311041	3	KAKINADA
9	CHANDU PURNA SAI	RAMESH BABU, MOB- 9966962866	1	KAKINADA
10	DOMMETI YOGYA SRI SAI MAHALAKSHMI	RAMU, MOB- 9110500301	5	KAKINADA

*अपरा ठाकुर*

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Smt. Geetha Viswanath Vanga माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

